न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 78/2024 दायर दिनांकः 20.06.2024

उनवान

कल्पना देवलाल परमार पुत्री नानूराम जाति नाई नि. परासली तहसील रायपुर

प्रार्थीया

बनाम

1. कोशल्याबाई बैवा गोपाललाल जाति नाई नि. परासली तहसील रायपुर
2. नर्मदाबाई पत्नी राधेश्याम जाति गुर्जर नि. गुण्डला तहसील रायपुर
3. पुरुषोत्तम पुत्र गोपाललाल जाति नाई नि. परासली तहसील रायपुर
4. भैरुलाल पुत्र गोपाललाल जाति नाई नि. परासली तहसील रायपुर
5. मुलीबाई पत्नी सुजानसिंह जाति गुर्जर नि. मुण्डला तहसील रायपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय रायपुर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषकगण :—
अभिभाषक प्रार्थी — श्री विनोद जैन
अभिभाषक अप्राथी सं. 1 से 5 — श्री महेन्द्रसिंह जैन
अप्राथी सं. 6 :— पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 11.06.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि ग्राम परासली पटवार हल्का सोयला तहसील रायपुर की आराजी खाता संख्या नया 70 पुराना 54 के खसरा नं. 561 रकबा 0.7461 है०, खसरा नं. 562 रकबा 0.4806 है०, खसरा नं. 563 रकबा 0.0379 है०, खसरा नं. 564 रकबा 0.0506 है०, खसरा नं. 565 रकबा 0.3667 है० कुल खसरे 5 कुल रकबा 1.6819 है० दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 संलग्न है। कि [illegible] नं. 1 में वर्णित आराजी में खातेदार क्रमांक 2 [illegible]बाई पुत्री [illegible] जाति नाई निवासी परासली दर्ज हो रहा है। [illegible] वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

कल्पना देवलाल परमार पुत्री श्री नानूराम जाति नाई निवासी ग्राम परासली तह० रायपुर जिला झालावाड़ राज. है। यह त्रुटि राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज के दौरान राजस्व कर्मचारियों की भूल से हुई है। जबकि धीसीबाई खातेदार का नाम कल्पना देवलाल परमार पुत्री श्री नानूराम जाति नाई है और यही नाम से आधार कार्ड, पेन–कार्ड, जाति प्रमाण–पत्र तथा मूल निवासी प्रमाण–पत्र में भी दर्ज है। यह कि वर्तमान खाते में धीसीबाई के स्थान पर कल्पना देवलाल परमार पुत्री श्री नानूराम जाति नाई होना है। यह कि प्रार्थीगण के पटवारी हल्का व तहसीलदार से उक्त वर्णित त्रुटि को ठीक करने का इन्द्राज दुरुस्ती के लिए निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की सलाह दी। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। यह कि पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है तथा न्यायहित में आराजियात में खातेदार घीसी बाई के स्थान पर कल्पना देवलाल परमार पुत्री श्री नानूराम जाति नाई संशोधित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यह कि प्रार्थना पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य व माननीय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि ग्राम परासली पटवार हल्का सोयला तह० रायपुर की आराजी खाता संख्या नया 70 पुराना 54 के खसरा नं. 561 रकबा 0.7461 है0, खसरा नं. 562 रकबा 0.4806 है०, खसरा नं. 563 रकबा 0.0379 है०, खसरा नं. 564 रकबा 0.0506 है०, खसरा नं. 565 रकबा 0.3667 है० कुल खसरे 5 कुल रकबा 1.6819 है० में दर्ज खातेदार घीसी बाई के स्थान पर कल्पना देवलाल परमार पुत्री श्री नानूराम जाति नाई संशोधित कर राजस्व रेकार्ड में सही इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 5 की ओर से स्वीकारात्मक वाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में ग्राम परासली पटवार हल्का सोयला तह० रायपुर की आराजी खाता संख्या नया 70 पुराना 54 के खसरा नं. 561 रकबा 0.7461 है०, खसरा नं. 562 रकबा 0.4806 है0, खसरा नं. 563 रकबा 0.0379 है०, खसरा नं. 564 रकबा 0.0506 है0, खसरा नं. 565 रकबा 0.3667 है० कुल खसरे 5 कुल रकबा 1.6819 है0 दर्ज है जो सही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 सही है तथा घीसी बाई नाम दर्ज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

2– यह कि पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में खातेदार क्रमांक 2 घीसीबाई पुत्री नानूराम जाति नाई निवासी परासली दर्ज हो रहा है। जबकि घीसीबाई का

निरन्तर 2 पर—

Scanned with OKEN Scanner

लेकिन घीसीबाई का सही नाम कल्पना देवलाल परमाल पुत्री नानूराम नाई निवासी परासली तह० रायपुर सही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 सही तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 4 सही तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 सही तथा स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर निवेदन है कि ग्राम परासली पटवार हल्का सोयला तह० रायपुर की आराजी खाता संख्या नया 70 पुराना 54 के खसरा नं. 561 रकवा 0.7461 है०, खसरा नं. 562 रकवां 0.4806 है०, खसरा नं. 563 रकवा 0.0379 है०, खसरा नं. 564 रकवा 0.0506 है०, खसरा नं. 565 रकवा 0.3667 है० कुल खसरे 5 कुल रकवा 1.6819 है० में दर्ज खातेदार घीरी बाई के स्थान पर कल्पना देवलाल परमार पुत्री श्री नानूराम जाति नाई संशोधित कर राजस्व रेकार्ड में सही इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3. पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/863 दिनांक 08.11.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाव प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि प्रार्थीया कल्पना देवलाल परमार पुत्री नानूराम जाति नाई नि. परासली द्वारा न्यायालयं उपखण्ड पिडावा के यहां नाम शुद्धि का प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र की जांच पटवारी हल्का सोयला से कराई गई है। श्रीमान जांच करने पर पाया गया है कि प्रार्थीया का नाम ग्राम परासली की जमावंदी स. 2073–76 के खाता नं. 70 किता 5 रकवा 1.6819 है. हि. 1/6 भूमि में नामा.सं. 261 दिनांक 20.11.2005 विरासत से घीसीवाई पुत्री नानूराम दर्ज है। ग्राम वासियान से जांच करने पर वताया कि वह अपने पति के साथ अमेरिका में वतमान में निवास करती है। कल्पना देवलाल परमार के नाम की स्पष्ट जानकारी करना असम्भव है। ततपश्चात पैरोकार सरकार द्वारा पत्र क. भू.अ./2025/213 दिनांक 18.03.2025 को पुनः जवाव पेश कर वताया कि ग्राम वासियान एवं परिवार वालो से जानकारी करने पर वताया कि घीसीबाई एवं कल्पना देवलाल परमार [illegible] एक ही [illegible]

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के सम[illegible] दस्तावेजी साक्ष्[illegible] ग्राम परासली की जमाबंदी सं. 2073–76 के खात[illegible] कल्पना परमार

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

का जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधारकार्ड (922674636715), ग्राम पंचायत सोयला का प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2024 की प्रति पेश की।

5. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी हल्का सोयला की रिपोर्ट, नामा.सं. 261 दिनांक 20.11.2005 एवं ग्राम पंचायत सोयला का प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2024 पेश किया।

6. अभिभाषक उभयपक्ष एवं पैराकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम परासली तहसील रायपुर के खाता संख्या 70 की आराजी किता 5 रकबा 1.6819 हे. भूमि में प्रार्थीया का गलत नाम घीसीबाई पुत्री नानूराम दर्ज चला आ रहा है जो गलत दर्ज हो रहा है जबकि प्रार्थीया का सही नाम कल्पना परमार है। प्रार्थीया के आधारकार्ड (922674636715), जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थीया का सही नाम कल्पना परमार दर्ज है जो सही है। इसलिए ग्राम परासली तहसील रायपुर के खाता संख्या 70 की आराजी किता 5 रकबा 1.6819 हे. भूमि में प्रार्थीया का नाम घीसीबाई पुत्री नानूराम के स्थान पर कल्पना परमार पुत्री नानूराम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अभिभाषक प्रार्थीया ने आगे तर्क किया कि ग्राम परासली की जमाबंदी खाता सं. 70 में प्रार्थीया के नाम का गलत अंकन होने से प्रार्थीया को अपनी आराजी का विकास करने, ऋण लेने एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ प्राप्त करने में भारी परेशानियों को सामना करना पड रहा है। अतः उक्त त्रुटी को शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।

7. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 से 5 ने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ग्राम परासली तहसील रायपुर के खाता संख्या 70 की आराजी किता 5 रकबा 1.6819 हे. भूमि में प्रार्थीया का गलत नाम घीसीबाई पुत्री नानूराम के स्थान पर कल्पना परमार पुत्री नानूराम दर्ज करने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

8. पैरोकार सरकार द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र दिनांक 18.03.2025 के बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम परासली तहसील रायपुर के खाता संख्या 70 की आराजी किता 5 रकबा 1.6819 हे. में प्रार्थीया का नाम घीसीबाई पुत्री नानूराम दर्ज है। उक्त नाम नामा.सं. 261 दिनांक 20.11.2005 विरासत के नामान्तरण से दर्ज हुआ हैं। प्रार्थीया के सभी दस्तावेज यथा आधारकार्ड मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र इत्यादि में प्रार्थीया का नाम कल्पना परमार दर्ज हैं। ग्राम पंचायत सोयला के प्रमाण पत्र व ग्रामवासियो से प्राप्त जानकारी में यह पाया गया कि घीसीबाई पुत्री नानूराम एवं कल्पना परमार पुत्री नानूराम एक ही महिला है।

9. अभिभाषक उभयपक्ष एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम परासली के खाता सं. 70 किता 5 रकबा 1.6819 है. की जमाबंदी सं. 2073–76 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया का नाम घीसीबाई पुत्र नानूराम दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा पेश नामा.सं. 261 दिनांक 20.11.2005 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया के पिता नानूराम का फोती नामान्तरण दर्ज करते समय वारीसान/पुत्री के रूप में प्रार्थीया का नाम घीसीबाई दर्ज किया था। प्रार्थीया का कथन है कि राजस्व रिकार्ड में उसके नाम का गलत अंकन फोती नामान्तरण दर्ज करते समय ग्राम का बोलचाल का नाम दर्ज करने से हुआ है। प्रार्थीया का सही नाम कल्पना परमार है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने बहस में ग्राम पंचायत सोयला का प्रमाण पत्रांक/एसचीएन दिनांक 27.01.2024, पत्रांक एसपी/2024 दिनांक 26.12.2024 एवं ग्रामवासियों से प्राप्त जानकारी अनुसार घीसीबाई पुत्री नानूराम एवं कल्पना परमार पुत्री नानूराम एक ही महिला होना बताया। अतः नाम संशोधन में कोई आपत्ति नहीं है। ग्राम पंचायत सोयला के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 26.12.2024 के अनुसार भी घीसीबाई पुत्री नानूराम एवं कल्पना परमार पुत्री नानूराम एक ही महिला है जिसे ग्राम में दोनो नामों से जाना जाता है। प्रार्थीया के आधारकार्ड (922674636715), जाति प्रमाण पत्र, मू... प्रमाण पत्र, आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थीया का सही नाम कल्पना परमार दर्ज है आदि सभी दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम कल्पना परमार पि. नानूराम जाति नाई नि. परासली तहसील रायपुर जिला झालावाड दर्ज है। अतः राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति से धारा 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम परासली तहसील रायपुर के खाता संख्या 70 की आराजी किता 5 रकबा 1.6819 हे. कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्राथीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 वावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम परासली तहसील रायपुर के खाता संख्या 70 की आराजी किता 5 रकबा 1.6819 हे. भूमि की कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम घीसीबाई पुत्री नानूराम के स्थान पर कल्पना उर्फ घीसीवाई पुत्री नानूराम जाति नाई दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार रायपुर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/06/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा
जिला झालावाड राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.06.26 15:37:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner